भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 864

उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

एमएसएमई से संबंधित समस्याएं

864. श्री सु. वेंकटेशनः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सब्सिडी सहायता, विशेष पैकेज, कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण, एनपीए के लिए क्रेडिट मानदंडों में छूट और अन्य संबंधित मांगों के संबंध में विभिन्न एमएसएमई संघों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर ध्यान दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसएमई क्षेत्र की इन समस्याओं और चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या इस मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को प्रतिक्रिया के साथ कोई सिफारिशें भेजी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : एमएसएमई क्षेत्र सहित नीति निर्माण में हितधारकों का परामर्श एक निरंतर प्रक्रिया है। भारत सरकार ने वित्त तक पहुंच में सुधार के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें और उपाय किए हैं। इनमें से कुछ हैं:

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने संयुक्त रूप से वर्ष 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की, ताकि ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत संपार्श्विक सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता के बिना सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके। हाल ही में गारंटी की सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है।

ii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए क्रमशः 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

iii. पीएम विश्वकर्मा योजना को दिनांक 17.09.2023 को 18 पारंपरिक ट्रेडों के ऐसे कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जो अपने हाथों और औजारों के साथ काम करते हैं। इस योजना में अधिकतम 8% तक की ब्याज छूट के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान शामिल है।

iv. एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए लगाने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना की गई है, जिसमें भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं, जिनमें एमएसई को संपार्श्विक मुक्त ऋण, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) का कार्यान्वयन, मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक के ऋण की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना, बैंकों द्वारा क्रेडिट निर्णयों के लिए समय सीमा में कमी आदि शामिल हैं।

*****